दिल्ली विधान सभा
DELHI VIDHAN SABHA

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(18 वां प्रतिवेदन)
(EIGHTEENTH REPORT)

(28.3.1998 को प्रस्तुत)
(Presented on 28th March, 1998)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Delhi.

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

§18 वां प्रतिवेदन§

§ 28 मार्च, 1998 को प्रस्तुत §

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री	सदस्य
3.	श्री राम भज	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सदस्य
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य
7.	श्री शोएब इकबाल	सदस्य
8.	श्री आलोक कुमार	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी.एन.गुप्ता	सदस्य
2.	श्री एस.के.शर्मा	सदस्य
3.	श्री पी.सी.अग्रवाल	सदस्य
4.	श्री के.एल.कोहली	सदस्य

समिति को सूचित किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं विधायी कार्य मंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि चूंकि, बजट पर पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिये सदन की बैठक शनिवार, 28 मार्च, 1998 को भी बुलाई जाये ।

कार्य मंत्रणा समिति को यह भी सूचित किया गया कि निम्नलिखित तीन नये विधेयकों की सूचना भी सचिवालय में प्राप्त हो गई है :-

1. दिल्ली चिट फंड विधेयक, 1998
2. दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1998
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के §वेतन एवं भत्ते§ §संशोधन§ विधेयक, 1998.

समिति से इन विधेयकों पर भी विचार करने के लिये समय का आवंटन करने का अनुरोध किया गया :-

विचार-विमर्श के बाद समिति ने सिफारिश की कि :-

1. इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 पर 28 मार्च, 1998 को विचार एवं पारित करने के लिये लिया जाये ।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) विधेयक, 1998 एवं

3. दिल्ली चिट फण्ड विधेयक, 1998 को

28 मार्च, 1998 को पुरःस्थापित किया जाये ।

ये दोनों विधेयक अर्थात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते) (संशोधन) विधेयक एवं दिल्ली चिट फंड विधेयक को बजट पर एवं विनियोजन विधेयक पर चर्चा की समाप्ति के बाद विचार एवं पारित करने हेतु लिया जा सकता है ।

कार्य मंत्रणा समिति ने यह भी सिफारिश की कि दिल्ली चिट फंड विधेयक को विचार एवं पारित करने हेतु 31 मार्च, 1998 को लिया जाये ।

समिति ने श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री आलोक कुमार को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

दिल्ली,
27 मार्च, 1998

(चरती लाल गोयल)
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(EIGHTEENTH REPORT)

(Presented on 28.3.1998)

CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta, Minister of Law, Justice & Legislative Affairs.	Member
3.	Shri Ram Bhaj	Member
4.	Shri Devendra Singh	Member
5.	Shri Gauri Shankar Bhardwaj	Member
6.	Shri Mahinder Singh Saathi	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal	Member
	Shri Alok Kumar	Special Invitee

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Spl. Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

The Committee was informed that the Hon'ble Chief Minister,Finance Minister and the Minister of Legisaltive Affairs have desired, since there has not been enough debate on the budget, a sitting of the House may also be convened on Saturday the 28th March, 1998.

The Business Advisory Committee was also informed that notices for following new Bills have also since been received in the Secretariat:-

1. Delhi Chit Fund Bill, 1998
2. Delhi Bhartiya Chikitsa Parishad Bill, 1998
3. The Ministers of the Government of NCT of Delhi (Salary & Allowances) (Amendment) Bill, 1998.

The Committee was requested to consider and allocate time

for these Bills also.

The Committee after deliberations recommended as under:-

1) The Indraprastha Vishwa Vidyalaya Bill, 1998 be taken up for consideration and passing on Saturday the 28th March, 1998.

2) The Delhi MLAs (Salary & Allowances) (Amendment) Bill; and

3) The Delhi Chit Fund Bill

be introduced on 28th March, 1998

Both these Bills i.e. The Delhi MLAs (Salary & Allowances) (Amendment) Bill and the Delhi Chit Fund Bill, may be taken up for consideration and passing on 30th March, 1998 and then besides the conclusion of debate on Budget and the Appropriation Bill.

The Business Advisory Committee also recommended that the Delhi Chit Fund Bill may be taken up for consideration and passing on 31st March, 1998.

The Committee authorised Shri Rajendra Gupta, Minister of Legislative Affairs, and in his absence, Shri Alok Kumar to present the Report in the House.

CHARTI LAL GOEL
CHAIRMAN
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

DELHI

MARCH, 1998

दिल्ली विधान सभा

DELHI VIDHAN SABHA

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

(18वां प्रतिवेदन)

(24 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत)

Report of the BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(18th Report)

(Presented on 24 September, 1998)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Old, Secretariat, Delhi-54

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

॥ 18वां प्रतिवेदन ॥

॥ 24 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत ॥

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री	सदस्य
3.	श्री आलोक कुमार	सदस्य
4.	श्री राम भज	सदस्य
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज	सदस्य
6.	डा. ए. के. वालिया	सदस्य
7.	श्री शोएब इकबाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	विशेष सचिव
3.	श्री पी. सी. अग्रवाल	उप सचिव
4.	श्री के. एल. कोहली	समिति अधिकारी

समिति को सूचित किया गया कि पूर्व सत्र के निम्नलिखित विधेयक लम्बित हैं:-

लम्बित विधेयक

1. दिल्ली चिट फण्ड बिल, 1998॥1998 का बिल संख्या-3॥

   - विचारण एवं पारण के लिये लंबित - 28.3.1998 को पुरःस्थापित ।

2. दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1998॥1998 का विधेयक संख्या-7॥

   - विचारण एवं पारण के लिये लम्बित - 3.4.1998 को पुरःस्थापित ।

....2

3. प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित दिल्ली विलासिता कर(संशोधन) विधेयक,1996 जिसका प्रतिवेदन सदन में 19 मार्च,1997 को प्रस्तुत किया जा चुका है - विधेयक की प्रतियां सदस्यों को 13वें सत्र में परिचालित कर दी गई थी । तथापि, विधेयक पुरःस्थापित नहीं हुआ ।

4. निर्माण संविदा के निष्पादन से संबद्ध वस्तुओं संबंधी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर दिल्ली बिक्री कर विधेयक,1997(1997 का विधेयक संख्या-9)

समिति ने निर्णय लिया कि क्रम संख्या-1 से 3 पर स्थित विधेयकों को विचारण एवं पारण के लिये आगामी सत्र में वरीयतः प्रथम दिन सूचीबद्ध किया जाये ।

विधायी कार्य मंत्री ने सूचित किया कि सरकार का अनुदान मांगों की सदन से स्वीकृति लेने का भी प्रस्ताव है एवं समिति ने निर्णय लिया कि अनुदान मांगों को स्वीकृति हेतु शुक्रवार, 25 सितम्बर,1998 को सूचीबद्ध किया जाये ।

नये प्रस्ताव

विधायी कार्य मंत्री ने सूचित किया कि आगामी सत्र में निम्नलिखित नये विधायी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है :-

1. दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन विधेयक,1998)·
2. दिल्ली कार्य से संबंधित रोग (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक,1998
3. दिल्ली ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष विधेयक
4. इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,1998

समिति ने निर्णय लिया कि जब भी सचिवालय को ये विधेयक एवं उनकी सूचनाएं प्राप्त हो जायें, सदन की कार्य सूची को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुरःस्थापन हेतु सूचीबद्ध किया जाए ।

समिति को नियम-55 के अन्तर्गत प्राप्त अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर प्राप्त अल्पकालिक चर्चा की सूचनाओं के बारे में सूचित किया गया ।

समिति ने सभी मामलों की आवश्यकता और महत्वत्ता पर विचार किया और निम्नलिखित विषयों पर निम्नानुसार तिथियों को अल्पकालिक चर्चा कराने की स्वीकृति प्रदान की :-

1.	खाद्य तेलों में भारी अपमिश्रण के कारण कई मौतें होने एवं उससे जनसमूह के मन में मानसिक भय उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति	24.9.1998
2.	आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि	24.9.1998
3.	कानून एवं व्यवस्था की स्थिति	28.9.1998

समिति ने श्री राजेन्द्र गुप्ता एवं उनकी अनुपस्थिति में डा.ए.के.वालिया को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चरती लाल गोयल)
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति

दिल्ली,
24 सितम्बर, 1998

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(EIGHTEENTH REPORT)

(Presented on 24.09.1998)

CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta Minister of Law, Justice & Legislative Affairs	Member
3.	Shri Alok Kumar	Member
4.	Shri Ram Bhaj	Member
5.	Shri Gauri Shanker Bhardwaj	Member
6.	Dr. A.K. Walia	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Spl. Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

The Committee was informed that the following Bills are pending from the previsous Session.

Pending Bills

1. Delhi Chit Fund Bill, 1998 (Bill No. 3 of 1998)
   - Pending for consideration and passing - Introduced on 28.03.1998

2. Delhi Bhartiya Chikitsa Parishad Bill, 1998 (Bill NO. 7 of 1998)
   - Pending for consideration and passing - Introduced on 03.04.1998

3. Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 1996 as reported by the Select Committee which presented its Report to the House on 19th March, 1997.

4. Delhi Sales Tax on Transfer of Properties in Goods involved in the Execution of Work Contract Bill, 1997 (Bill No.9 of 1997).

The Committee decided that the Bill at S.No.1 to 3 may be listed for consideration and passing during the ensuing Session preferably on the first day itself.

The Minister of Legislative Affairs informed that the Government propose to seek supplementary grant from the House and the Committee decided that the dsame could be listed on Friday, the 25th September, 1998.

Fresh Proposals

The Minister of Legislative Affairs informed that there was also possiblity of the following fresh legislative measures being introduced in the ensuing Session:

(1) Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill,1998.

(2) Delhi Work Related Diseases (Prevention and Control) Bill,1998.

(3) Delhi Historical Monuments, Archaeological Sites and Remains Bill.

(4) Indraprastha Vishwa Vidyalaya (Amendment) Bill, 1998.

The Committee decided that as and when the Bills and their notices were received, the Secretariat may list them for introduction keeping in view the state of Business before the House .

Contd...3

The Committee was informed about the Notices received from Members under Rule 55 for Short Duration Discussion of matters of urgent public importance.

The Committee considered the urgency and importance of all the matters and recommended that the following topics may be taken up for Short Duration Discussion on the dates as indicated under:-

1.	Recent increase in adulteration in edible oil in Delhi resulting in several deaths and caused a fear psychosis in the minds of masses.	**24-9-98**
2.	Ever rising prices of essential commodities and the failure of the Government to check the same.	**24-9- 98**
3.	Deteriorating law and order situation in Delhi.	**28-9-98**

The Committee after deliberations and taking into consideration the time available decided that the remaining topics for Short Duration Discussion may not be taken up.

The Committee authorised Shri Rajendra Gupta and in his absence Dr. A.K. Walia to present the Report to the House.

CHARTI LAL GOEL,
CHAIRMAN,
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

PLACE: DELHI

DATE : 24 SEPTEMBER, 1998